आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

हरसीमरान सिंह सेठी के सामने **,** जे**.**

माम्टेश-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादीगण 2018 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13190

22 अप्रैल, 2019

भारत का संविधान**, 1950-**अनुच्छेद **226** और **227-**मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए हरियाणा अनुकंपा सहायता नियम**, 2006-**संविदात्मक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी**-**अनुकंपा सहायता**-**संविदात्मक आधार पर काम करने वाले चालक की सेवा में मृत्यु**-**विधवा **2006** के नियमों के तहत अनुकंपा सहायता की हकदार है।

अभिनिर्धारित किया गया कि संविदात्मक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी, जिनका चयन उचित प्रक्रिया के बाद किया गया था, हालांकि शुरू में अनुबंध के आधार पर, 2006 के नियमों के तहत लाभों के हकदार होंगे।

(पैरा 6)

अशोक त्यागी, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

निधि गर्ग, ए. ए. जी., हरियाणा,

प्रतिवादीगण के लिए।

हरसिम्रन सिंह सेठी, जे. ओराल

(1) वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता को मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए हरियाणा अनुकंपा सहायता नियम, 2006 (इसके बाद "2006 नियम" के रूप में संदर्भित) के तहत उसे प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित कर दिया गया है। लाभ प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के दावे को दिनांक 26-

03-2018(अनुलग्नक पी/10) के आदेश के माध्यम से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता का पति, जो प्रतिवादी-विभाग के साथ चालक के रूप में काम कर रहा था, उस तारीख को नियमित कर्मचारी नहीं था जब उसकी मृत्यु हो गई थी और 2006 के नियमों के तहत, केवल नियमित कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी 2006 के नियमों के तहत लाभ के हकदार हैं।

(2) रिट याचिका में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता के पति, अर्थात् श्री. जय नारायण को अनुबंध के आधार पर 28.08.2002 पर Rs.2410-प्रति माह के निश्चित वेतन पर चालक के रूप में नियुक्त किया गया था। उचित विज्ञापन के बाद उन्हें चालक के रूप में चुना गया था।

सभी पात्र व्यक्तियों के दावे पर विचार करना। उक्त चयन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता के पति को 25.07.2002 दिनांकित नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्त किया गया था, अंततः, 28.08.2002 पर शामिल किया गया था। चयन के समय, याचिकाकर्ता के पति ने मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी पास किया था। दुर्भाग्य से, एक चालक के रूप में काम करते हुए, याचिकाकर्ता के पति, जो कैंसर से पीड़ित थे, की अंततः 12.05.2007 पर मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने 2006 के नियमों के तहत परिकल्पित लाभों के अनुदान के लिए दावा किया। चूंकि याचिकाकर्ता को लाभ जारी नहीं किए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने 2017 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 24886 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे इस न्यायालय द्वारा 02.11.2017 पर निपटाया गया था, जिसमें प्रतिवादीगण को 2006 के नियमों के तहत लाभ प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्देश के अनुसरण में, प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करते हुए 26.03.2018 (अनुलग्नक पी/10) पर एक आदेश पारित किया। अस्वीकार करने का कारण यह था कि 2006 के नियमों के अनुसार, केवल एक नियमित कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी लाभों के हकदार हैं और चूंकि याचिकाकर्ता का पति नियमित आधार पर काम नहीं कर रहा था, इसलिए 2006 के नियमों के तहत लाभ प्रदान करने का मामला शामिल नहीं था। उक्त दिनांकित 26.03.2018 आदेश वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन है।

(3) प्रस्ताव के नोटिस पर, प्रतिवादीगण ने जवाब दाखिल कर दिया है। जवाब में भी, उत्तरदाताओं द्वारा यही रुख अपनाया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता का दिवंगत पति प्रतिवादीगण के साथ नियमित चालक नहीं था, इसलिए 2006 के नियमों के तहत कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। जवाब का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

"1. कि वर्तमान रिट याचिका दिनांकित 26.03.2018 (अनुलग्नक पी-10) के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को मासिक वित्तीय सहायता से इनकार कर दिया गया है।

2. कि यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका इस आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई मासिक वित्तीय सहायता मान्य नहीं है। यहां यह उल्लेख करना सार्थक है कि याचिकाकर्ता के

पति स्वर्गीय श्री. जय नारायण चालक सं. 60/295 को 28.08.2002 से अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था।परिवहन विभाग, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना 2003 के अनुसार, नियमित संतोषजनक सेवाओं के छह साल पूरे होने पर कर्मचारी की सेवाओं को नियमित किया जा सकता है।उसी की प्रति अनुलग्नक आर-1 के रूप में संलग्न है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पति श्री। जय

नारायण ड्राइवर ने इस कार्यालय आदेश सं. 2 के माध्यम से ड्राइवर ग्रेड 2 में अपग्रेड किया है। 7295/ई. ए./ई. सी. डी. दिनांक 05.11.2014।यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि श्री की सेवाएं। जय नारायण को उनकी मृत्यु के कारण कक्षा 1 में नियमित नहीं किया गया है, उनकी मृत्यु 12.05.2007 पर हो गई है।यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा, चंडीगढ़ को भेजा गया मासिक वित्त सहायता मामला इस कार्यालय पत्र सं. 485/ई. सी. डी. दिनांक 09.05.2015।निदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा, चंडीगढ़ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किएः-

"यह देखा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार श्री की सेवाएं। जय नारायण ड्राइवर नं. 60/295 को मृत्यु के बाद ग्रेड 1 में नियमित नहीं किया गया था।इसलिए, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश दिनांक 01.08.2006 के अनुसार उनका परिवार मासिक वित्तीय सहायता का हकदार नहीं है।

कि आगे यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 24886/2017 में दिनांकित 02.11.2017 के अनुपालन में जिसका शीर्षक ममताश बनाम हरियाणा राज्य है, उत्तरदाता प्रत्यर्थी नं.3 याचिकाकर्ता के मामले की सराहना/जांच की गई है/याचिकाकर्ता पी-7 के कानूनी नोटिस पर नियम और निर्देशों के आलोक में विचार किया गया है।मामले पर विचार करने के बाद, मासिक वित्तीय सहायता के लिए मामला हरियाणा राज्य परिवहन महानिदेशक को भेज दिया गया है।यहां यह उल्लेख करना उचित है कि योग्य मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 01.08.2006 पर जारी निर्देश के अनुसार, याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है क्योंकि सेवा पति जय नारायण, चालक संख्या 60/295 को मृत्यु के समय ग्रेड-I में नियमित नहीं किया गया था।"

(4) मैंने पक्षों के वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(5) याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार करने में प्रतिवादीगण की कार्रवाई कि याचिकाकर्ता का पति एक नियमित कर्मचारी नहीं था, इस न्यायालय द्वारा 2011 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 5593 में निर्धारित कानून के विपरीत है।

"केलो देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, "पर निर्णय लिया

07.02.2013.इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने उक्त रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए, जिसने कानून का वही सवाल भी उठाया कि क्या एक कर्मचारी जिसे उचित विज्ञापन के बाद चुना गया है, हालांकि अनुबंध के आधार पर, क्या उसके परिवार के सदस्य के लिए हकदार होंगे।

2006 के नियमों के तहत लाभ, यदि उक्त कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो निम्नानुसार धारितः-

"6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील तर्क देंगे कि याचिकाकर्ता के पति को 89 दिनों की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर चालक के रूप में नियुक्त किया गया था, शुरू में 21.6.2008 पर, और यह ऐसी अनुबंध नियुक्ति थी जो उनकी मृत्यु की तारीख यानी 5.9.2010 तक जारी रही।राज्य सरकार का रुख यह है कि 2006 के नियम केवल नियमित कर्मचारियों पर लागू होते हैं और चूंकि याचिकाकर्ता एक संविदात्मक कर्मचारी की विधवा है, इसलिए उसे अनुग्रह राशि वित्तीय सहायता का लाभ स्वीकार्य नहीं होगा।

7. पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना गया है और अभिलेख पर दलीलों पर विचार किया गया है।

8. अपने पति की मृत्यु के कारण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के दावे और दिनांकित 20-07-2011 अस्वीकृति आदेश, अनुलग्नक पी8 की वैधता के लिए विषय को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों के आलोक में जांच की आवश्यकता होगी।

9. 2006 के नियमों को 1.8.2006 पर अधिसूचित किया गया था।2006 के नियमों के नियम 2 और 3 वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए विवाद पर विचार करने के लिए प्रासंगिक होंगे और इसे निम्नलिखित शब्दों में पढ़ा जाएगाः

"2. नियमों का उद्देश्य समूह सी और डी श्रेणी के एक मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार की सहायता करना है, जो वित्तीय सहायता देकर नियमित सेवा में रहते हुए रोटी कमाने वाले के नुकसान के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने में मदद करता है।

3. इन नियमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता पेंशन/परिवार पेंशन योजना, 1964 के प्रावधान के अनुसार होगी।"

10. स्पष्ट रूप से, 2006 के नियमों का उद्देश्य अचानक वित्तीय संकट को कम करना है जो एक कमाने वाले को खोने के कारण एक मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार पर पड़ा है।निस्संदेह, 2006 के नियमों के नियम 2 के तहत, ऐसे मृत सरकारी कर्मचारी से संबंधित 'नियमित सेवा' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।हालांकि, 2006 के नियमों के नियम 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे नियमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आश्रित की पात्रता निर्धारित की गई है।

यह पेंशन/परिवार पेंशन योजना, 1964 के प्रावधान के अनुसार होगा।

11. परिवार पेंशन योजना, 1964 का पैरा 4 निम्नलिखित शब्दों में पढ़ता हैः

"4. इस योजना को निम्नानुसार प्रशासित किया जाता हैः-

(i) पारिवारिक पेंशन पहली जुलाई, 1964 को या उसके बाद सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु के मामले में स्वीकार्य है, यदि मृत्यु के समय, सेवानिवृत्त अधिकारी को क्षतिपूर्ति, अमान्य, सेवानिवृत्त या अधिवर्षिता पेंशन प्राप्त थी। सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु के मामले में पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य नहीं होगी यदि मृत्यु के समय सेवानिवृत्त कर्मचारी को केवल उपदान प्राप्त था। सेवा में रहते हुए मृत्यु के मामले में एक सरकारी कर्मचारी को बिना किसी विराम के निरंतर सेवा की न्यूनतम एक वर्ष की अवधि पूरी करनी चाहिए।

नोट 1:उपरोक्त पैरा 4 (i) में प्रयुक्त एक वर्ष की निरंतर सेवा शब्द में पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में स्थायी/अस्थायी सेवा शामिल है, लेकिन इसमें असाधारण अवकाश, बालक सेवा और निलंबन अवधि शामिल नहीं है, जब तक कि इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित नहीं किया जाता है या एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने से पहले, बशर्ते कि संबंधित मृत सरकारी कर्मचारी की सेवा या पद पर भर्ती से तुरंत पहले उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जांच की गई हो और उस प्राधिकरण द्वारा उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो।

नोट 2:उन व्यक्तियों के मामले में जो 1 नवंबर, 1966 से पहले पंजाब के समग्र राज्य में सेवा में थे और 1 नवंबर, 1966 को या उसके बाद हरियाणा राज्य में आए थे, या जिन्हें हरियाणा सरकार द्वारा 1 नवंबर, 1966 को या उसके बाद भर्ती किया गया है, या जिन्हें केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित किया गया है और उन मामलों में पेंशन के लिए उनकी पिछली सेवा को गिनने के लिए सहमति व्यक्त की गई है, राज्य सरकार के तहत एक वर्ष की निरंतर सेवा में रखे बिना उनकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति की स्थिति में पारिवारिक पेंशन योजना लागू होगी; यदि मृत्यु के समय उनकी कुल सेवा (पिछली सरकार के तहत प्रदान की गई सेवा सहित) एक वर्ष से अधिक है।

महेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य

829

(बी. एस. वालिया, जे.)

((ii) इस योजना के प्रयोजनों के लिए 'परिवार' में अधिकारी के निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल हैं:-

(क) पुरुष अधिकारी के मामले में पत्नी;

(ख) महिला अधिकारी के मामले में पति; (ग) नाबालिग बेटे; और

((घ) अविवाहित नाबालिग बेटियाँ।

नोट 1-(सी) और (डी) में सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे शामिल हैं।

नोट 2-सेवानिवृत्ति के बाद विवाह इस योजना के उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है।

नोट 3-न्यायिक रूप से अलग हो चुकी पत्नी/पति सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति का कानूनी दर्जा नहीं खोता है और इस प्रकार वह परिवार पेंशन योजना, 1964 के लाभ के लिए पात्र है -

(iii) पेंशन स्वीकार्य हैः-

(क) विधवा/विधुर के मामले में मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख, जो भी पहले हो, तक।

(बी) नाबालिग बेटे के मामले में जब तक वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता (डब्ल्यू. ई. एफ. 10.5.88,25 वर्ष)

(ग) अविवाहित बेटी के मामले में जब तक कि वह 24 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती है या शादी जो भी पहले हो (पत्र No.1/1 (4) 80-2 FRII dt के माध्यम से 25 वर्ष।10.5.88)

नोट-(i) जहाँ एक अधिकारी के परिवार में एक से अधिक विधवाएँ हैं, वहाँ उन्हें समान शेयरों में पेंशन का भुगतान किया जाएगा।विधवा की मृत्यु पर, पेंशन का उसका हिस्सा उसके योग्य नाबालिग बच्चे को देय हो जाएगा।यदि अपनी मृत्यु के समय, कोई विधवा कोई पात्र नाबालिग बच्चे को नहीं छोड़ती है, तो पेंशन के अपने हिस्से का भुगतान बंद हो जाएगा।

(ii) जहां एक अधिकारी के परिवार में एक विधवा है, लेकिन उसने दूसरी पत्नी से एक योग्य नाबालिग बच्चे को छोड़ दिया है, तो पात्र नाबालिग बच्चे को पेंशन का वह हिस्सा दिया जाएगा जो माँ को मिलता, अगर वह अधिकारी की मृत्यु के समय जीवित होती।

((iv) "उप-पैरा के नीचे दिए गए नोट को छोड़कर।

((iii) इस पैरा के तहत, इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन एक ही समय में एक अधिकारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय नहीं होगी।यह पहले विधवा/विधुर को और उसके बाद पात्र नाबालिग बच्चों को स्वीकार्य होगा।"

(v) विधवा/विधुर के पुनर्विवाह या मृत्यु की स्थिति में नाबालिग बच्चों को उनके प्राकृतिक अभिभावक, यदि कोई हो, के माध्यम से पेंशन दी जाएगी, अन्यथा उनके वास्तविक अभिभावक के माध्यम से क्षतिपूर्ति बांड आदि पेश करने पर।

(5) Letter No 6837 एफ. आई. आर. -61/8358, दिनांक 29 जुलाई, 1961। हालाँकि, विवादित मामलों में, भुगतान एक कानूनी अभिभावक (यानी अदालत द्वारा नियुक्त अभिभावक) के माध्यम से किया जाएगा।

(vi) पंजाब सरकार के परिपत्र पत्र No.8206-FRI-64/7668, दिनांक 13 अगस्त, 1964 के तहत दी गई तदर्थ वृद्धि इस योजना के तहत दी गई पारिवारिक पेंशन पर स्वीकार्य नहीं होगी।"

12. ऊपर पुनः प्रस्तुत परिवार पेंशन योजना, 1964 के तहत प्रासंगिक खंड के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की सेवा में मृत्यु के मामले में लाभ स्वीकार्य हैं, जिसने बिना किसी विराम के निरंतर सेवा की न्यूनतम एक वर्ष की अवधि पूरी कर ली है। पैरा 4, उपखंड (i) में संलग्न नोट-1 के अनुसार, एक वर्ष की निरंतर सेवा की अवधि में पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में स्थायी/अस्थायी सेवा शामिल है। इसके अलावा, एक शर्त लगाई गई है कि ऐसे मृत सरकारी कर्मचारी की सेवा या पद पर भर्ती से तुरंत पहले उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जांच की जानी चाहिए और उसे सरकारी सेवा के लिए योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

13. वर्तमान मामले में विचार के लिए जो संक्षिप्त मुद्दा उत्पन्न होता है, वह याचिकाकर्ता के मृत पति द्वारा की गई नियुक्ति और सेवा की प्रकृति के संबंध में है। 14. याचिकाकर्ता के पति के संबंध में दिनांकित 21.6.2008 का नियुक्ति पत्र अनुलग्नक पी1 में दर्ज किया गया है। निस्संदेह, इस तरह के नियुक्ति पत्र को अनुबंध/दैनिक मजदूरी के आधार पर भारी वाहन चालक, श्रेणी 'बी' के रूप में नियुक्ति के रूप में लिखा गया है। इस तरह के नियुक्ति पत्र के आगे के अवलोकन से पता चलता है कि

याचिकाकर्ता को 3,000/- रुपये प्रति माह के समेकित वेतन पर और एक अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया था। इस तरह के नियुक्ति पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार, याचिकाकर्ता के पति को पद से इस्तीफा देने का विकल्प चुनने की स्थिति में उसके बदले एक महीने का नोटिस या वेतन देने के लिए बाध्य किया गया था। याचिकाकर्ता के पति को हरियाणा राज्य में लागू पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-I के नियम 3.1 के तहत संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी कहा गया था। यह आगे कहा गया कि इस तरह की नियुक्ति हरियाणा सेवा नियम, 1995 द्वारा नियंत्रित की जा सकती है जो चालक के पद को नियंत्रित करता है। तथ्य की स्वीकृत स्थिति यह है कि चालक के पद पर नियुक्त होने से पहले, याचिकाकर्ता के पति की चिकित्सकीय जांच की गई थी और हरियाणा सिविल सेवा नियमों के नियम 3.1 के अनुसार सरकारी सेवा में पहले प्रवेश पर आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन, जींद, अनुलग्नक पी 3 द्वारा जारी किया गया था।

15. राज्य की ओर से दायर लिखित बयान में ड्राइवरों के पदों के बारे में विधिवत विज्ञापन दिए जाने और याचिकाकर्ता के पति को नियमित चयन प्रक्रिया के अनुसरण में विधिवत चुना और नियुक्त किए जाने के संबंध में याचिका में किए गए स्पष्ट कथन का खंडन नहीं किया गया है।

16. जब याचिकाकर्ता ने अपने पति की मृत्यु पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, तो जाहिर है कि इस तरह के दावे पर कार्रवाई की गई और उस संबंध में हरियाणा रोडवेज, जींद के महाप्रबंधक द्वारा हरियाणा के राज्य परिवहन महानिदेशक से लिखित बयान के साथ अनुलग्नक आर 2 के रूप में संलग्न पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया। इस तरह का दस्तावेज़ वर्तमान मामले में एक क्लीनचर होगा। उसी के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पति का चयन किया गया था और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया के अनुसरण में भारी वाहन चालक/बस चालक के पद पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, याचिकाकर्ता के पति की नियुक्ति को नियमित आधार पर प्रभावी माना जाना चाहिए, भले ही वह एक अस्थायी पद के खिलाफ हो। यह केवल के संचालन के कारण है।

वैधानिक नियम है कि नियुक्ति पत्र में 'संविदात्मक/दैनिक मजदूरी' भाषा निहित की गई है। जहाँ तक 2006 के नियमों के तहत अनुग्रह सहायता प्रदान करने के उसके दावे का संबंध है, ऐसी भाषा वर्तमान याचिकाकर्ता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। याचिकाकर्ता के दिवंगत पति द्वारा प्रदान की गई सेवा निश्चित रूप से परिवार पेंशन योजना, 1964 के तहत 'अस्थायी सेवा' अभिव्यक्ति के दायरे और दायरे में आएगी, जो बदले में, याचिकाकर्ता को 2006 के नियमों के तहत वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए पात्र बनाएगी।

17. अन्यथा भी, 2006 के नियमों को एक प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को सहायता प्रदान करना है, जिसकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है। इस तरह के प्रावधान एक लाभकारी प्रावधान की प्रकृति में हैं और इसकी व्याख्या करते समय एक व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए, न कि एक प्रतिबंधित प्रावधान जो इस तरह के प्रावधानों के उद्देश्य को नकार देगा। बॉम्बे आनंद भवन रेस्तरां बनाम उप निदेशक, ई. एस. आई. निगम और ए. एन. आर., 2009 (4) एस. सी. टी. 421 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां इस संबंध में सबसे अधिक प्रासंगिक होंगी जो निम्नलिखित शब्दों में हैं:

"कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा कानून है और एक सामाजिक कानून की व्याख्या करने की तोपें कराधान कानून की व्याख्या की तोपों से अलग हैं। न्यायालयों को किसी भी ऐसे छल को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो सामाजिक विधान के प्रावधानों को विफल कर दे और न्यायालयों को, यदि आवश्यक हो, तो भी अधिनियम की भाषा पर दबाव डालना चाहिए ताकि उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जो विधायिका ने इस विधान को कानून की पुस्तक में रखने के लिए किया था। इसलिए, अधिनियम को एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए ताकि इसके उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जा सके। ई. एस. आई. निगम, हैदराबाद बनाम जयलक्ष्मी कॉटन एंड ऑयल प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड, (1980) लैब आई. सी. 1078 के मामले में इस न्यायालय ने कहा है कि ई. एस. आई. अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा कानून है और इसे विभिन्न जोखिमों और आकस्मिकताओं को कम करने के लिए अधिनियमित किया गया था जो कर्मचारियों को किसी प्रतिष्ठान या कारखाने में काम करते समय सामना करना पड़ता है। इस प्रकार इसका उद्देश्य श्रमिकों के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना है और इस प्रकार, इसकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए।"

18. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, 20.7.2011 दिनांकित ज्ञापन, अनुलग्नक P8, को अलग रखा गया है।

याचिकाकर्ता के दिवंगत पति द्वारा प्रदान की गई सेवा को 26.6.2008 से 5.9.2010 तक 'अस्थायी सेवा' के रूप में लेने के संदर्भ में 2006 के नियमों के तहत अनुग्रह सहायता के अनुदान के लिए हकदार होना। नतीजतन, याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर 2006 के नियमों के अनुसार स्वीकार्य वित्तीय सहायता जारी की जाएगी।"

(6) उपरोक्त पुनरुत्पादन के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों की सराहना करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक संविदात्मक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी, जिन्हें उचित प्रक्रिया के बाद चुना गया था, हालांकि शुरू में अनुबंध के आधार पर, उक्त निर्णय में उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों के तहत 2006 के नियमों के तहत लाभ के हकदार होंगे।

(7) प्रतिवादीगण के वकील इस बात का खंडन नहीं कर पाए हैं कि याचिकाकर्ता का मामला उक्त फैसले के दायरे में नहीं आता है। प्रतिवादीगण द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए दिए गए एकमात्र कारण के रूप में कि याचिकाकर्ता का पति, जो एक चालक के रूप में भी काम कर रहा था, हरियाणा सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं था और उक्त कारण को पहले से ही अनुचित माना गया है ताकि 2006 के नियमों के तहत लाभ न दिया जा सके, वही कारण याचिकाकर्ता के मामले में भी कायम नहीं किया जा सकता है, जो 2011 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 5593-केलो देवी बनाम में याचिकाकर्ता के समान स्थित है। हरियाणा राज्य और अन्य। प्रतिवादीगण के वकील 2011 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 5593 में याचिकाकर्ता के मामले और याचिकाकर्ता के मामले के बीच कोई अंतर नहीं बता पाए हैं। बल्कि सुनवाई के दौरान, प्रतिवादीगण के वकील ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता केलो देवी (उपरोक्त) में फैसले को देखते हुए 2006 के नियमों के लाभों का हकदार है।

(8) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादीगण को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर 2006 के नियमों के तहत याचिकाकर्ता को स्वीकार्य लाभ जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरणीय :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

अंजू बाला

अनुवादक